मार्च 20, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-10

<u>कोविड -19 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी आदेश</u>
<u>(कोविड-19 कार्यकारी आदेश संख्या 8)</u>

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर *(JB Pritzker*) ने मार्च 9,2020 को कोरोनावायरस बीमारी 2019 (कोविड 19); के फैलने की प्रतिक्रिया में इलिनॉयस की सभी काउंटियों को एक आपातकाल क्षेत्र घोषित कर दिया है (गवर्नर द्वारा आपातकाल की घोषणा); और,

जबकि, एक छोटी सी समयावधि में, कोविड 19 पूरे इलिनॉयस में तेज़ी से फैला है, संघ, राज्य और स्थानीय जन स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा अद्यतन और अधिक कठोर दिशा निर्देश जारी करने को ज़रूरी कर रहा हूँ।

जबकि, पूरे इलिनॉयस राज्य में जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य वितरण व्यवस्था उनका ध्यान रखने के लिए जो बीमार हैं सक्षम है, मुझे यह ज़रूरी लगता है कोविड 19 के फैलने को धीमा करने और रोकने के लिए जन स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त क़दम उठाये जाएँ;

जबकि, कोविड 19 के परिणाम स्वरूप आय और दिहाड़ी के नुकसान समेत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़े हैं, कि यह घरों की सुरक्षा और स्थिरता को खोखला कर देने के खतरे में डाल रहा है;

जबकि, आवासीय परिसरों को खाली करने के आदेशों को लागू करना जन स्वास्थ्य रक्षा के हित से असंगत है और यह सुनिश्चित करना कि इस स्वास्थ्य आपातकाल में लोग अपने घर में रहें;

इसलिए, इलिनॉयस राज्य के गवर्नर के रूप में मुझमें निहित शक्तियों के द्वारा, और इलिनॉयस आपातकाल प्रबंधन एक्ट 20 ILCS 3305 (*Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305*) के सेक्शन 7(1), 7(2), 7(8), 7(10), और 7(12) के अनुसार, और जन स्वास्थ्य कानून की शक्तियों के अनुसार, मैं इसके द्वारा मार्च 21, 2020 शाम पाँच बजे से निम्नलिखित की घोषणा करता हूँ, और गवर्नर द्वारा आपातकाल की घोषणा के बचे हुए भाग के लिए जो वर्तमान में 7 अप्रेल, 2020 तक बढ़ा दिया जाता है:

भाग 1. घर पर रहना; सामाजिक दूरी की आवश्यकताएँ; और अत्यावश्यक व्यवसाय और काम

1. **<u>घर पर या अपने रहने के स्थान पर रहें।</u>** नीचे बताए गए अपवादों के साथ, इलिनॉयस (*Illinois*) राज्य में रह रहे सभी व्यक्तियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे घर पर या अपने ठिकाने पर रहें। जब तक लोग घर से बाहर शामिल में या बाहर की जगहों का उपयोग कर रहे हैं, इस कार्यकारी आदेश में बताए अनुसार सामाजिक दूरी संबंधी आवश्यकता के अनुरूप रहें, हर वक़्त जितना उचित रूप से ठीक हो उतनी अधिक दूरी बनाए रखें, किसी भी और व्यक्ति से कम से कम छह फीट की सामाजिक दूरी को बनाए रखें, सभी व्यक्ति केवल नीचे बताए अनुसार, बहुत ज़रूरी कामों के लिए, सरकार से संबन्धित बहुत ज़रूरी कार्यों, या ज़रूरी व्यवसाय या कार्रवाई के लिए ही घर छोड़कर निकाल सकते हैं।

   वे व्यक्ति जिनके घर नहीं है उन्हें इस निर्देश से छूट है, किन्तु उनसे बहुत निवेदन है कि वे जल्दी से जल्दी और जहां तक संभव हो कोई आवास प्राप्त कर लें (और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र (*Centers for Disease Control and Prevention-CDC*) और जन स्वास्थ्य विभाग इलिनॉयस (*Illinois Department of Public Health [IDPH]*) द्वारा कोविड -19 के ख़तरे को कम करने के लिए बताए गए अभ्यासों पर अमल करने के लिए) और सरकारी व अन्य निकायों से बहुत अधिक अपेक्षा की जाती है कि ऐसे आवास जल्द ही उपलब्ध कराये जाएं। व्यक्ति जिनके घर सुरक्षित नहीं हैं, जैसे घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्तियों को अपना घर छोड़ने अनुमति है और निवेदन है कि वे अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों में रहने लगें। इस कार्यकारी आदेश के उद्देश्य से, घर या आवास में होटल, मोटल, साथ में किराए से रहने की इकाइयां, आवास, या इसी प्रकार की सुविधाएं शामिल हैं।

2. **<u>गैर ज़रूरी व्यवसाय और कार्य अवश्य ही बंद किए जाएं।</u>** राज्य में नीचे बताए गए अतिआवश्यक व्यवसायों व कार्यों के अलावा, सभी व्यवसाय व कार्यों को नीचे बताए अनुसार

न्यूनतम मूल कार्यों के अलावा राज्य के भीतर की सभी गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए, व्यवसाय उन कार्यों को जारी रख सकते हैं जिनमें वे कर्मचारी या ठेकेदार शामिल हों जो अपने आवास से ही गतिविधियां संचालित कर सकें (यानि घर से काम करना)।

सभी अति आवश्यक व्यवसायों व कार्यों को खुले रहने के लिए प्रेरित किया जाया है। जहां तक सुगम हो, अतिआवश्यक व्यवसायों और कार्यों को कार्यकारी आदेश में बताए अनुसार, कर्मचारियों व जनता के सदस्यों को सभी समय छह फुट की दूरी की सामाजिक दूरी सहित सामाजिक दूरी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, लेकिन जब कोई ग्राहक पंक्ति में खड़े हों तो यह तब तक के लिए सीमित नहीं है।

3. **निषेधित गतिविधियां।** इस आदेश में विशेष उद्देश्यों के लिए अनुमति दिये गए लोगों के इकट्ठा होने के अलावा किसी घर या आवासीय इकाई के बाहर सार्वजनिक व निजी, सभी प्रकार से इकट्ठा होना वर्जित है। CDC के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार, **दस** लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने पर रोक है जब तक कि इसकी कार्यकारी आदेश के द्वारा छूट न हो। इस कार्यकारी आदेश में कुछ भी घर या आवास के अंदर सदस्यों के इकट्ठा होने को नहीं रोकता है।

   इन्हें मिलाकर मनोरंजन की सभी जगहें लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, चाहे वे अंदर हों या बाहर, मनोरंजक झूलों वाली जगहें, उत्सव, मनोरंजन पार्क, वॉटर पार्क, मछलीघर, चिड़ियाघर, बाग़, मेले, बच्चों के खेलने की जगहें, खेल के मैदान, फ़नप्लेक्स, थीम पार्क, बोलिंग के जगहें, फिल्म या अन्य मंच, कॉन्सर्ट, संगीत सभाएं, और कंट्री क्लब या सोशल क्लब लोगों के लिए बंद रहेंगे।

   यह कार्यकारी आदेश, कार्यकारी आदेश 2020-07 (कोविड -19 कार्यकारी आदेश संख्या 5) के खंड 2 को अधिरेखित करता है जो 50 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाता है।

4. **निषेधित और अनुमति प्राप्त यात्रा।** यहाँ बताई गईं अतिआवश्यक यात्राओं के अलावा, इन सहित सभी यात्राएं लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकल, स्कूटर, साइकिल, ट्रेन, हवाईजहाज या सार्वजनिक साधनों द्वारा यात्रा मना है। सार्वजनिक साधनों से यात्रा कर रहे लोगों को जहां तक सुगम हो, सामाजिक दूरी का ज़रूर पालन करना चाहिए। अतिआवश्यक व्यवसायों और कार्यों और न्यूनतम आधारभूत कार्यों के चलते रहने के लिए यह कार्यकारी आदेश राज्य में या राज्य के बाहर यात्रा करने की अनुमति देता है।

5. **ज़रूरी कामों के लिए घर छोड़ने की अनुमति है।** इस कार्यकारी आदेश के आशय के अनुसार, व्यक्ति अपने घर को इन में से कोई जरूरी गतिविधि को करने के लिए छोड़ सकते हैं:

   a. **स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए।** ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए या ऐसे काम करने के लिए जो उनके या उनके परिवार या घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हों (इनमें शामिल लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) जैसे उदारण के लिए ही और बिना सीमा के आपातकालीन सेवाएँ लेना, चिकित्सा के सामान या दवाइयाँ लेना या किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से मिलना।

   b. **अति आवश्यक सामान व सेवाओं के लिए।** अपने, अपने परिवार और घर में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सेवाएँ व सामान प्राप्त करने के लिए या वे सेवाएँ या समान औरों को देने के लिए जैसे उदाहरण के लिए एवं बिना सीमा के, किराने का समान और खाना, घर के काम के सामान, घर से काम करने के लिए ज़रूरी सामान, और सुरक्षा, सफाई और निवासियों के मूलभूत कामों को बनाए रखने के लिए आवश्यक उत्पाद प्राप्त करने के लिए।

   c. **घर के बाहर की गतिविधियों के लिए।** बाहर की गतिविधियों में शामिल होने के लिए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जैसा नीचे बताया गया है, जैसे, उदाहरण के लिए और बिना सीमा के, टहलना, दौड़ना या बाइक चलाना। लोग सार्वजनिक पार्कों में और बाहर

मनोरंजक जगहों पर जा सकते हैं। हालांकि, खेल के मैदानों से कोविड-19 फ़ैल सकता है और इसलिए वे बंद रहेंगे।

d. **<u>कुछ विशेष तरह के कामों के लिए।</u>** जरूरी व्यवसाय व कार्यों को जरूरी सेवाएँ और जरूरी उत्पाद प्रदान करने के उद्देश्य से काम करने के लिए (जिनमें नीचे बताए अनुसार, स्वास्थ्य सेवाएँ और सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियाँ और अनिवार्य ढांचा शामिल हैं) या न्यूनतम मूलभूत गतिविधियों सहित इस कार्यकारी आदेश में विशेष रूप से अनुमति प्राप्त कोई और गतिविधियां करना।

e. **<u>अन्य लोगों का ध्यान रखना।</u>** इस कार्यकारी आदेश में अनुमति अनुसार अन्य किसी घर में परिवार के किसी सदस्य, मित्र या पालतू जानवर का ध्यान रखना और इस आदेश से अनुसार परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पालतू जानवरों को लाने ले जाने के का काम करना।

6. **<u>बूढ़े लोगों और बीमारी के कारण कमजोर लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।</u>** बूढ़ों और बीमार लोगों को मिलाकर जिन्हें कोविड-19 का अधिक खतरा है उनसे निवेदन है कि वे जरूरी चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने के अलावा जहां तक संभव हो, घर पर ही रहें। इस कार्यकारी आदेश में कुछ भी इलिनॉयस के जन स्वास्थ्य विभाग या स्थानीय चिकित्सा विभागों (*Illinois Department of Public Health*) को लोगों को अलग करने के आदेश जारी करने व उसे लागू करवाने और जन स्वास्थ्य विभाग एक्ट, 20 ILCS 2305 के अनुसार संगरोध (*quarantine*) करने से नहीं रोकता है।

7. **<u>स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य क्रियाएं</u>** इस कार्यकारी आदेश के अनुसार, लोग स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य क्रियाओं द्वारा सेवा पाने के लिए अपने घर से निकल सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य क्रियाओं में यह शामिल हैं किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है: अस्पताल, दवाखाने, दाँत के इलाज की जगहें, उन समेत जो जन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को इकट्ठा करना, मॉडल बनाना, विश्लेषण करना और उनका प्रसार करना आदि कार्य करते हैं; दवा निर्माण, चिकित्सा यंत्र व उपकरण, और बायोटेक्नोलोजी कंपनियाँ (जिनमें प्रचालन, अनुसंधान और विकास, निर्माण और वितरण श्रृंखला शामिल हैं) खून, प्लेटलेट, प्लाज़्मा, और अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र करने वाली संस्थाएं, लाइसेन्स प्राप्त कैनेबी दवाखाने और लाइसेन्स प्राप्त कैनेबी खेती केंद्र, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य प्रदाता, आंखो का इलाज करने वाले, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो चश्में बेचते हैं और कांटैक्ट लेंस बेचते हैं, घर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले, मानसिक स्वास्थ्य व सब्सटेन्स यूज़ से ग्रस्त लोगों की सहायता करने वाले; अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं, और वितरक और कोई भी संबन्धित और/या सहायक स्वास्थ्य सेवाएँ; और इलाज से जुड़े समान और बचे अंशों को ले जाने वाली परिवहन संस्थाएं।

स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य में विशेष रूप से शामिल किए गए हैं उत्पादक, तकनीकविद, रसद और गोदाम संचालक और चिकित्सा उपकरणों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (*PPE*), चिकित्सा गैस, दवाइयाँ, रक्त व रक्त संबंधी उत्पाद, टीके, टेस्टिंग के सामान, प्रयोगशाला के सामान, सफाई, सेनीटाइज़िंग, डिसिन्फ़ेक्टिंग, या कीटाणुशोधन के सामान, और टिश्यू व पेपर टॉवल के वितरक।

स्वास्थ्य सेवा व जन स्वास्थ्य क्रियाओं में जानवरों की सेवा और जानवरों को दी जाने वाली सभी स्वस्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य क्रियाओं का मोटा मोटा अनुमान लगा लिया जाना चाहिए ताकि मोटे रूप में परिभाषित की गई स्वस्थ्य सेवा के वितरण पर कोई असर न हो। स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य क्रियाओं में स्वस्थ रहने और व्यायाम जिम, स्पा, सलोन, बाल काटने की दुकाने, टेटू पार्लर और मिलती झुलती सुविधाएं नहीं शामिल हैं।

8. **मानव सेवा क्रियाएं।** इस कार्यकारी आदेश के अनुसार, लोग किसी मानव सेवा क्रिया में (*Human Services Operations*) पर काम करने या सेवा लेने के लिए घर छोड़ सकते हैं जिनमें इलिनॉयस के ह्यूमन सर्विसेस विभाग द्वारा धन सहायता प्राप्त कोई प्रदाता, इलिनॉयस का चिल्ड्रेन व फॅमिली सर्विस विभाग, या मेडिकेड जो राज्य द्वारा संचालित संस्थागत या समुदाय आधारित व्यवस्थाओं समेत जनसाधारण को मानव सेवा प्रदान कर रहा है, शामिल हैं।

   मानव सेवा क्रियाओं में यह शामिल हैं ,किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है ; चाइल्ड केयर एक्ट 225 ILCS 10 के अनुसार लाइसेंस प्राप्त समस्त जनसंस्थाएं, डे केयर सेंटर, डे केयर होम, ग्रुप डे केयर होम, और इस कार्यकारी आदेश के सेक्शन 12(s) में बताए अनुसार लाइसेंस प्राप्त डे केयर सेंटर; वयस्कों, बड़ों, बच्चों के लिए ठिकाने और/अथवा विकास संबंधी समस्याओं, दिमाग़ी अक्षमताओं, सब्सटेन्स यूज़ डिसोर्डर से युक्त व्यक्ति और/अथवा मानसिक बीमारी से युक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय व्यवस्थाएँ; आवागमन की सुविधाएं; शारीरिक, मानसिक और/ अथवा विकास से संबन्धित अयोग्यताओं वाले, वृद्ध, वयस्क व बच्चों के लिए घर पर ही की जाने वाले व्यवस्थाएँ; फील्ड ऑफिस जो कि मूल आवश्यकताओं के लिए जिनमें खाना, धन सहायता, मेडिकल कवरेज, बच्चों की देखभाल, व्यवसायिक सेवाएँ, रीहेबिलिटेशन सेवाएँ शामिल हैं, को पाने की योग्यता को तय करने में मदद करते हैं; विकास केंद्र, गोद लेने वाली संस्थाएं; व्यवसाय जो आर्थिक रूप से सुविधाहीन लोगों और शारीरिक, बौद्धिक और/अथवा विकास संबंधी अयोग्यताओं से ग्रस्त लोगों, या किसी और प्रकार से ज़रूरतमन्द लोगों को खाना, रहने की जगह और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हैं।

   मोटे तौर पर बताई गई मानवीय सेवाओं पर कोई असर न पड़े, इसलिए मानव सेवा क्रियाओं का मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया जाए।

9. **अतिआवश्यक ढांचा** इस कार्यकारी आदेश के आशय से, लोग जरूरी ढांचे से जुड़ी कोई सेवा प्रदान करने या जरूरी ढांचा प्रदान करने, इसे प्रबंधित करने, संचालित करने, बनाए रखने और सुधार करने से जुड़ा कोई कार्य करने के लिए अपना घर छोड़कर जा सकते हैं।

   ज़रूरी ढांचे में शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, खाने का उत्पादन, वितरण, और बेचना; निर्माण (जिसमें यह शामिल हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, इस जन स्वास्थ्य आपातकाल के लिए निर्माणकार्य, अस्पताल निर्माण, लंबे समय के लिए देखरेख सुविधाओं का निर्माण, लोक निर्माण कार्य, और घरों का निर्माण); भवन निर्माण प्रबंधन और रखरखाव; एयर पोर्ट संचालन, पानी, नालियों, गैस और बिजली (जिसमें बिजली बनाना, वितरण, और कच्चे माल का उत्पादन शामिल हैं) समेत उपयोगी सुविधाओं का संचालन व रखरखाव; वितरण केंद्र, तेल व जैव ईंधन का शुद्धीकरण; सड़कें, राजमार्ग, रेलमार्ग, और जन परिवहन; पोत, साइबर सुरक्षा संचालन, बाढ़ नियंत्रण, ठोस कचरा और रिसाइकलिंग संग्रहण और उसे अलग करना; और इंटरनेट, वीडियो, और दूरसंचार (टेलीकम्यूनिकेशन) व्यवस्थाएँ (जिनमें कम्प्यूटिंग सुविधाओं, व्यवसायिक ढाँचों, संचार और वेब आधारित सुविधाओं के लिए ज़रूरी वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय ढाँचे का प्रबंध शामिल है) आती हैं।

   मोटे तौर पर बताई गई मानवीय सेवाओं पर कोई असर न पड़े, इसलिए मानव सेवा क्रियाओं का मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया जाएं।

10. **जरूरी सरकारी प्रकार्य।** इस कार्यकारी आदेश के आशय के अनुसार, सभी प्रथम जवाबदार व्यक्ति (*first responders*), आपातकाल प्रबंधन कार्यकर्ता, आपातकाल प्रेषक (*dispatchers*), अदालत के कार्यकर्ता, कानून लागू करवाने वाले और सुधार करने वाले कार्यकर्ता, हानिकारक सामान के बारे में जवाबदार व्यक्ति, बच्चों की सुरक्षा और बालकल्याण कार्यकर्ता, गृह व आवास कार्यकर्ता, सेना, ज़रूरी व्यवसायों और कार्यों में सहयोग करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को इस कार्यकारी आदेश से छूट है।

    जरूरी सरकारी प्रकार्यों का अर्थ है राज्य या किसी नगर पालिका, टाउनशिप, काउन्टी, सबडिवीजन या सरकारी संस्था द्वारा दी जाने सभी सेवाएँ और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि

सरकारी सस्थाएँ स्वास्थ्य, सुरक्षा और जनकल्याण के लिए लगातार काम करें और इसमें जनता का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण शामिल हो और इसमें जरूरी सरकारी कार्य करने वाले ठेकेदार शामिल हों। हर एक सरकारी निकाय अपने जरूरी कार्यों को निर्धारित करेगा और उन कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों और ठेकेदारों की पहचान करेगा।

यह कार्यकारी आदेश संयुक्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है। इस कार्यकारी आदेश में कुछ भी किसी भी व्यक्ति को जरूरी सरकारी कार्यों को करने या उन तक पहुँचने से नहीं रोकता है।

11. **<u>इस कार्यकारी आदेश द्वारा शामिल किए गए व्यवसाय।</u>** इस कार्यकारी आदेश के आशय के अनुसार, इसमें आने वाले व्यवसायों में इनकी सेवा की प्रकृति, इसके काम, या इसके निकाय या कॉर्पोरेट संरचना पर ध्यान दिये बिना कोई भी लाभ के उद्देश्य से, लाभ रहित या शिक्षण निकाय शामिल हैं।

12. **<u>जरूरी व्यवसाय व प्रचालन।</u>** इस कार्यकारी आदेश के आशय से, जरूरी व्यवसाय और प्रचालन का अर्थ है स्वास्थ्य सेवा और जन स्वास्थ्य प्रचालन, मानव सेवा प्रचालन, जरूरी सरकारी प्रकार्य, और जरूरी मूलभूत ढांचा और निम्नलिखित:[1]

    a. **<u>किराना और दवाइयाँ बेचने वाली दुकानें।</u>** किराने की दुकाने, दवाई की दुकाने, प्रमाणित किसान बाज़ार, खेत और उत्पाद अड्डे, सुपर बाज़ार, कनवीनिएन्स स्टोर, और अन्य किराने की खुदरा बिक्री, डब्बा बंद खाने, सूखा सामान, ठंडा जमा हुआ खाना, व्यवस्थाएँ, ताज़ा खाना और सब्जियाँ, पालतू जानवरों के सामान, ताज़ा मांस, मछली, और मुर्गी, अलकोहोल या बिना अलकोहोल युक्त पेय और कोई भी घर पर उपयोग किया जाना वाला उत्पाद (जैसे सफाई या स्वयं की देखभाल के उत्पाद) इसमें वे दुकाने शामिल हैं जो किराना, बिना चिकित्सक की पर्ची के दवाइयों समेत दवाइयाँ बेचती हैं, और वे भी जो किराने में शामिल न होने वाले उत्पाद बेचती हैं और सुरक्षा, सफाई और आवासों के जरूरी कार्य और जरूरी व्यवसायिक व कार्य संबंधी दुकाने शामिल हैं।

    b. **<u>खाना, पेय, और भांग का उत्पादन और खेती।</u>** खेती, पशुधन, मछलीपालन, बेकिंग, सहित खाने और पेय निर्माण, उत्पादन, संसाधन और संवर्धन और उपभोग के लिए जानवरों और वस्तुओं का वितरण; लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकीय और वयस्कों के उपयोग के लिए केनेबी डिस्पेंसरियाँ और लाइसेंस प्राप्त भांग संवर्धन केंद्र; और खाना, आवास, और जानवरों के आवास, बचाव की जगहें, कुत्ता घर, और गोद लेने की सुविधाओं सहित जानवरों के जीवन के लिए अन्य ज़रूरी चीज़ें।

    c. **<u>धर्मार्थ और सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने वाले संस्थान।</u>** व्यवसाय और धार्मिक और भोजन बैंक समेत, धर्मनिरपेक्ष लाभ रहित संस्थाएं, जब वे आर्थिक रूप से सुविधाहीन लोगों या अन्य कारणों से ज़रूरतमन्द लोगों को और उन लोगों को जिन्हें आपातकाल की वजह से मदद की ज़रूरत है और अपंगता से युक्त लोगों को खाना, आवास और सामाजिक सुरक्षा और जीवन के लिए अन्य ज़रूरी चीज़ें प्रदान करती हैं;

    d. **<u>मीडिया। समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और अन्य मीडिया सेवाएं;</u>**

    e. **<u>गैस स्टेशन और परिवहन के लिए आवश्यक व्यवसाय।</u>** गैस स्टेशन और ऑटो-सप्लाई, ऑटो-रिपेयर, और संबंधित सुविधाएं और साइकिल की दुकानें और संबंधित सुविधाएं;

---

[1] मार्च 19,2020 को, संयुक्त राज्य अमेरिका (*Department of Homeland Security, Cybersecurity & Infrastructure Security Agency)* (जन्मभूमि सुरक्षा विभाग, साइबर सुरक्षा और मूलभूत ढांचा सुरक्षा संस्था ने, *कोविड 19 प्रतिक्रिया के दौरान जरूरी मूलभूत ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक कर्मचारियों की पहचान का एक ज्ञापन जारी किया।* इस आदेश में जरूरी व्यवसाय व कार्यों की परिभाषा का आशय उस ज्ञापन में पहचाने गए कर्मचारियों को शामिल करने से है।

f. **<u>वित्तीय संस्थाएं।</u>** बैंक, करेंसी एक्स्चेंजेस, उपभोक्ता ऋणदाता, इनके सहित परंतु सीमित नहीं, पेडे(payday) ऋणदाता, गिरवीदार, उपभोक्ता किस्त ऋणदाता और बिक्री वित्त ऋणदाता, क्रेडिट यूनियन, मूल्यांकनकर्ता, टाइटल कंपनियां, वित्तीय बाजार, व्यापार और वायदा एक्सचेंज, वित्तीय संस्थानों के सदस्य, बांड जारी करने वाली संस्थाएं, संबंधित वित्तीय संस्थान और वित्तीय उत्पाद बेचने वाले संस्थान;

g. **<u>हार्डवेयर और आपूर्ति भंडार।</u>** हार्डवेयर स्टोर और व्यवसाय जो इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और हीटिंग का सामान बेचते हैं;

h. **<u>महत्वपूर्ण</u> <u>व्यवसाय।</u>** भवन और निर्माण व्यवसायी (पुरुष और महिला), और निम्न व्यवसायों सहित परंतु सीमित नहीं जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, एक्सटर्मीनेटर्स, वाणिज्यिक और सरकारी संपत्तियों के लिए सफाई और जेनिटोरियल स्टाफ, सुरक्षा कर्मी, ऑपरेटिंग इंजीनियर्स, HVAC, पेंटिंग, मूविंग और स्थानांतरण सेवाएं, और अन्य सेवा प्रदाता जो वे सेवाएं प्रदान करते हैं जो निवासों, आवश्यक गतिविधियों, और आवश्यक व्यवसायों और ऑपरेशन्स की सुरक्षा, स्वच्छता और अत्यावश्यक संचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं;

i. **<u>मेल, पोस्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी और पिक-अप सेवाएँ।</u>** डाकघर और अन्य व्यवसाय जो शिपिंग और डिलीवरी सेवाएं प्रदान करते हैं, और व्यवसाय जो अंतिम उपभोक्ताओं को या वाणिज्यिक चैनलों के माध्यम से किराने का सामान, खाद्य पदार्थ, मादक और गैर-मादक पेय, माल या सेवाएं प्रदान करते हैं;

j. **<u>शिक्षण संस्थान।</u>** शिक्षण संस्थान- जिसमें पब्लिक और प्राइवेट प्री-के-12 स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं---जिनका उद्देश्य है दूरस्थ शिक्षा को सुविधाजनक बनाना,, महत्वपूर्ण शोध करना या अन्य आवश्यक कार्य करना, बशर्ते कि प्रति व्यक्ति छह फुट की सोशल डिस्टेंसिंग को यथासंभव अधिक से अधिक बनाए रखा जाए। यह कार्यकारी आदेश, कार्यकारी आदेश 2020-05 कोविड-19 कार्यकारी आदेश न. 3) या कार्यकारी आदेश 2020-06 कोविड-19 कार्यकारी आदेश न. 4) के साथ सुसंगत है और उसमें संशोधन नहीं करता या उसका स्थान नहीं लेता, <u>सिवाय इसके</u> कि प्रभावित स्कूल 7 अप्रैल, 2020 तक बंद रखने हेतु आदेशित किए जाते है;

k. **<u>लॉन्ड्री सेवाएं।</u>** लॉन्ड्रोमैट, ड्राई क्लीनर, औद्योगिक लॉन्ड्री सेवाएं और लॉन्ड्री सेवा प्रदाता;

l. **<u>ऑफ-प्रीमाइसेस उपभोग वाले रेस्टोरेंट।</u>** रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं जो भोजन तैयार करती हैं और उपलब्ध कराती हैं, परंतु केवल ऑफ-प्रीमाइसेस उपभोग के लिए, जैसे कि इन-हाउस डिलीवरी, थर्ड-पार्टी डिलीवरी, ड्राइव-थ्रू, कर्बसाइड पिक-अप और कैरी-आउट के माध्यम से। स्कूल और अन्य संस्थाएं जो आम तौर पर छात्रों या जनता को भोजन सेवाएं प्रदान करती हैं, इस कार्यकारी आदेश के तहत इस शर्त पर ऐसा करना जारी रख सकती हैं कि छात्रों या जनता के सदस्यों को भोजन केवल पिक-अप और टेकअवे आधार पर ही उपलब्ध किया जाएगा। स्कूल और अन्य संस्थाएं जो इस छूट के तहत भोजन सेवाएं प्रदान करती हैं, वे उस स्थान पर भोजन करने की अनुमति नहीं देंगी जहाँ उसे प्रदान किया जाता है, या किसी अन्य सभा स्थल पर, क्योंकि वायरस में विभिन्न सतहों और व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित करने की प्रवृत्ति होती है। यह कार्यकारी आदेश, कार्यकारी आदेश 2020-07 (कोविड-19 कार्यकारी आदेश न. 5) की धारा 1 के साथ सुसंगत है और उसमे संशोधन नहीं करता या उसका स्थान नहीं लेता है, <u>सिवाय इसके कि</u> धारा 1 को 7 अप्रैल, 2020 तक विस्तारित करने का आदेश दिया जाता है;

m. **<u>घर से काम करने के लिए आपूर्ति।</u>** लोगों को घर से काम करने के लिए आवश्यक उत्पादों को बेचने, निर्माण या आपूर्ति करने वाले व्यवसाय;

n. **<u>अत्यावश्यक व्यवसायों और कार्यों के लिए आपूर्ति।</u>** ऐसे व्यवसाय जो अन्य अत्यावश्यक व्यवसायों और ऑपरेशन्स को सपोर्ट करते हैं, या ऐसा सामान बेचते, निर्माण करते या सप्लाई करते हैं जो उनके संचालन में आवश्यक है जैसे, कंप्यूटर, ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण; आईटी और दूरसंचार उपकरण; हार्डवेयर, पेंट, फ्लैट ग्लास; इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और हीटिंग सामग्री; सफाई के उपकरण; व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद; खाद्य पदार्थ, खाद्य योजक, इंग्रेडियंट्स और कंपोनेंट्स; चिकित्सा और आर्थोपेडिक उपकरण; ऑप्टिक्स और फोटोग्राफी उपकरण; डायग्नोस्टिक्स, खाद्य और पेय पदार्थ, रसायन, साबुन और डिटर्जेंट; और सुरक्षा और बचाव के प्रयोजनों के लिए आग्नेयास्त्र और गोला बारूद आपूर्तिकर्ता और खुदरा विक्रेता;

o. **<u>परिवहन।</u>** एयरलाइंस, टैक्सी, परिवहन नेटवर्क प्रदाता (जैसे कि Uber और Lyft), वाहन किराये पर देने वाली सेवाएं, पैराट्रांजिट, और अन्य निजी, सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्रदाता जो अत्यावश्यक गतिविधियों और अन्य उद्देश्यों, जो इस कार्यकारी आदेश में स्पष्ट रूप से अधिकृत हैं, के लिए आवश्यक हैं;

p. **<u>घरेलु देखभाल और सेवाएं।</u>** वयस्कों, वरिष्ठों, बच्चों, और/या विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों, बौद्धिक विकलांग, सब्सटांस यूज़ विकार और/या मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए घरेलु देखभाल, इनमें शामिल हैं देखभालकर्ता जैसे कि आया जो देखभाल प्रदान करने के लिए बच्चे के घर की यात्रा कर सकती हैं, और भोजन वितरण सहित अन्य इन-होम सेवाएं;

q. **<u>आवासीय सुविधाएं और आश्रय।</u>** वयस्कों, वरिष्ठों, बच्चों और/या विकासात्मक विकलांग लोगों, बौद्धिक विकलांगों, सब्सटांस यूज़ विकार और/या मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधाएं और आश्रय;

r. **<u>पेशेवर सेवाएं।</u>** पेशेवर सेवाएँ, जैसे कानूनी सेवाएँ, लेखा सेवाएँ, बीमा सेवाएँ, अचल संपत्ति सेवाएँ (मूल्यांकन और टाइटल सेवाओं सहित);

s. **<u>इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट प्राप्त कर्मचारियों के लिए डे केयर सेंटर।</u>** इलिनोइस एडमिनिस्ट्रेटिव कोड के टाइटल 89, सेक्शन 407.400 (*Title 89, Section 407.400 of the Illinois Administrative Code*) के तहत एक आपातकालीन लाइसेंस प्राप्त डे केयर सेंटर्स जो अनुमति के अनुसार काम करने के लिए इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट प्राप्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए आपातकालीन डे केयर कार्यक्रम संचालित करते हैं। चाइल्ड केयर एक्ट 225 ILCS 10/4 की धारा 4 (*Section 4 of the Child Care Act, 225 ILCS 10/4)* के अनुसार डे केयर होम के लिए लाइसेंस की आवश्यकताएं, यहां ऐसे फैमिली होम्स के लिए निलंबित कर दी गई हैं जहां गुबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन की अवधि के लिए अधिकतम 6 बच्चे आते हैं।

t. **<u>महत्वपूर्ण उत्पादों और उद्योगों के लिए निर्माण, वितरण और आपूर्ति चेन।</u>** विनिर्माण कंपनियां, वितरक, और निम्न उद्योगों में और के लिए आवश्यक उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन और आपूर्ति करने वाली चेन कंपनियां, इन उद्योगों में शामिल हैं दवा, प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, रसायन और स्वच्छता, अपशिष्ट पिकअप और निपटान, कृषि, खाद्य और पेय, परिवहन, ऊर्जा, इस्पात और इस्पात उत्पाद, पेट्रोलियम और ईंधन, खनन, निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा, संचार, साथ ही अन्य अत्यावश्यक व्यवसायों और ऑपरेशन्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद।

u. **<u>महत्वपूर्ण श्रमिक संघ कार्य।</u>** श्रमिक संघ आवश्यक गतिविधियाँ जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण कोषों का प्रशासन और आवश्यक व्यवसायों और ऑपरेशन्स में सेवाएं प्रदान करने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की जाँच शामिल है - बशर्ते कि ये जाँच जहाँ संभव हो वहाँ दूर से या टेलीफोन द्वारा की जानी चाहिए।

v. **<u>होटल और मोटल।</u>** होटल और मोटल, लॉजिंग और डिलीवरी या कैरी-आउट खाद्य सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने की सीमा तक।

w. **<u>अंतिम संस्कार सेवाएं।</u>** अंतिम संस्कार, मुर्दाघर, श्मशान, दफनाना, कब्रिस्तान, और संबंधित सेवाएं।

13. **<u>न्यूनतम बुनियादी ऑपरेशन्स।</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, न्यूनतम बेसिक ऑपरेशंस में निम्नलिखित शामिल हैं, बशर्ते कि कर्मचारी ऐसे कार्यों को करते समय, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरतों का यथासंभव अनुपालन करें:

a. व्यवसाय की इन्वेंट्री के मूल्य को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यक गतिविधियां, व्यवसाय के भौतिक संयंत्र और उपकरणों की स्थिति को बनाए रखना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, पेरोल और कर्मचारी लाभ प्रोसेस करना, या संबंधित कार्यों के लिए।

b. व्यवसाय के कर्मचारियों की सुविधा के लिए न्यूनतम आवश्यक गतिविधियाँ जो उन्हें उनके घरों से दूरस्थ रूप से काम करना जारी रखना सक्षम बनाती हों।

14. **<u>अत्यावश्यक यात्रा।</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, आवश्यक यात्रा में निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा शामिल है। किसी भी अत्यावश्यक यात्रा में लगे व्यक्तियों को इस धारा में परिभाषित सभी सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

a. आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक सरकारी कार्यों, आवश्यक व्यवसायों और ऑपरेशन्स, या न्यूनतम बुनियादी कार्यों तक एक्सेस या उसके प्रावधान से संबंधित कोई भी यात्रा।

b. बुजुर्गों, नाबालिगों, आश्रितों, विकलांग व्यक्तियों या अन्य कमजोर व्यक्तियों की देखभाल के लिए यात्रा।

c. दूरस्थ शिक्षा के लिए सामग्री प्राप्त करने, भोजन प्राप्त करने के लिए और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं के लिए शिक्षण संस्थानों की यात्रा करना।

d. क्षेत्राधिकार के बाहर से निवास स्थान पर लौटने के लिए यात्रा।

e. लॉ एन्फोर्समेंट या अदालत के आदेश द्वारा आवश्यक यात्रा, जिसमें कस्टडी समझौते के अनुसार बच्चों का परिवहन करना शामिल है।

f. गैर-निवासियों को राज्य के बाहर उनके निवास स्थान पर लौटने के लिए आवश्यक यात्रा। व्यक्तियों को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है कि वे राज्य से बाहर उनके परिवहन की यात्रा शुरू करने से पहले सत्यापित करें कि ऐसी यात्रा उपलब्ध और कार्यात्मक है।

15. **<u>सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) की आवश्यकताएं।</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकताओं में अन्य व्यक्तियों से कम से कम छह फुट की सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना, कम से कम बीस सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना या जितनी बार संभव हो हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसी या छींक को कवर करना (आस्तीन या कोहनी से, हाथों से नहीं), बार-बार स्पर्श की जाने वाली सतहों की नियमित रूप से सफाई, और हाथ नहीं मिलाना शामिल हैं।

a. **<u>आवश्यक उपाय।</u>** अत्यावश्यक व्यवसाय और ऑपरेशन्स और न्यूनतम बेसिक ऑपरेशन्स में लगे व्यवसायों को सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, जहाँ संभव हो, निम्न सहित:

i. **<u>छह-फुट की दूरी नियत करें।</u>** उचित दूरी बनाए रखने हेतु कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए साइनेज, टेप या अन्य माध्यमों से छह फुट की दूरी नियत करना;

ii. **<u>हैंड सैनीटाइज़र और सैनीटाइजिंग उत्पाद।</u>** कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए हैंड सैनीटाइज़र और सैनीटाइजिंग उत्पाद आसानी से उपलब्ध करना;

iii. **<u>कमजोर आबादी के लिए अलग परिचालन घंटे।</u>** बुजुर्गों और कमजोर ग्राहकों के लिए अलग परिचालन घंटे लागू करना; तथा

iv. **<u>ऑनलाइन और रिमोट एक्सेस।</u>** ऑनलाइन पोस्ट करना कि क्या कोई सुविधा खुली है और सुविधा तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है एवं फोन पर या दूरस्थ रूप से सेवाएं जारी रखना।

16. **<u>इस कार्यकारी आदेश का आशय।</u>** इस कार्यकारी आदेश का आशय यह सुनिश्चित करना है कि अधिकतम संख्या में लोग अपने आवासों में स्वयं को अकेला रखा(सेल्फ-आइसोलेट) हों, अधिकतम संभव सीमा तक, साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं को लगातार जारी रहने में सक्षम बनाना, ताकि कोविड-19 के प्रसार को यथासंभव धीमा किया जाएं। जब लोगों को अपने निवास स्थान छोड़ने की आवश्यकता हो, चाहे अत्यावश्यक कार्य करना हो, या अन्यथा सामाजिक और व्यावसायिक जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक अधिकृत गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना हो, उन्हें हर समय और यथोचित रूप से जितना संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। इस कार्यकारी आदेश के सभी प्रावधानों की व्याख्या इस आशय को प्रभावी करने के लिए की जानी चाहिए।

17. **<u>लागू करना।</u>** इलिनोइस इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट, 20 ILCS 3305 की धारा 7, धारा 18 और धारा 19 (*Section 7, Section 18, and Section 19 of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305*) के अनुसार और अन्य बातों के साथ यह कार्यकारी आदेश स्टेट और लोकल लॉ एन्फोर्समेंट द्वारा लागू किया जा सकता है।

18. **<u>अधिकार पर कोई सीमा नहीं।</u>** इस कार्यकारी आदेश में से कुछ भी ऐसा नहीं, जो किसी भी तरह से, राज्य या किसी भी काउंटी या स्थानीय सरकारी निकाय के किसी भी वर्तमान कानूनी अधिकार को बदलेगा या संशोधित करेगा, जिससे वह यह आदेश दे सके (1) किसी भी संगरोध(क्वारंटाइन) या आइसोलेशन के लिए जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष आवासीय संपत्ति या चिकित्सा सुविधा के अंदर सीमित समय तक रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की अवधि भी शामिल है, या (2) सीमित समय के लिए किसी विशिष्ट स्थान को बंद करने हेतु, इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की अवधि सहित। इस कार्यकारी आदेश में कुछ भी, किसी भी तरह से, किसी भी मौजूदा कानूनी अधिकार को परिवर्तित या संशोधित नहीं करेगा जो काउंटी या स्थानीय सरकारी निकाय को उन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है जो इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों की तुलना में अधिक सख्त हैं।

सेक्शन 2. बेदखली बंद करने का आदेश।

इलिनोइस इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट, 20 ILCS 3305/7 (2), (8), और (10), (*the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(2), (8), and (10)*) के अनुसार इलिनोइस राज्य में सभी राज्य, काउंटी और स्थानीय लॉ एन्फोर्समेंट अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे गुबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन की अवधि के दौरान आवासीय प्रीमाइसेस के लिए बेदखली के आदेशों को लागू करने से रोकें। इस कार्यकारी आदेश में निहित कोई भी प्रावधान किराए के भुगतान के दायित्व से किसी भी व्यक्ति को राहत देने, मोर्टगेज का पेमेंट करने, या किसी व्यक्ति की किरायेदारी या मोर्टगेज के तहत हो सकने वाले किसी अन्य दायित्व के अनुपालन से राहत देने वाला नहीं माना जाएगा।

सेक्शन 3. सेविंग्स क्लॉज़।

अगर इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या इसके किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर लागू करने को किसी सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के अनुपालन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुपालन के बिना प्रभावशील किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर, गवर्नर

20 मार्च, 2020 को गवर्नर द्वारा जारी
20 मार्च, 2020 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (*Secretary of State*) द्वारा दायर